

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर
एफ 204–224, रीको, उद्योग विहार, श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)
फोन नं.–0154–2944411

कार्य का नामः— सुरक्षा गार्ड सप्लाई कार्य श्री गंगानगर परियोजना हेतु
कार्य वर्षः—2024–25

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तारीख	23.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा स्वीकार की अंतिम तारीख	23.07.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	23.07.2024 को दोपहर 2.00 बजे

निविदा खोलने का स्थान :—तिलम् संघ श्री गंगानगर परियोजना कार्यालय, रिको, श्री गंगानगर

निविदा फार्म का मूल्य नगद राशि रुपये 500/- रसीद संख्या दिनांक से जमा कराया गया है।

निविदा फार्म जारीकर्ता
वास्ते राजस्थान राज्य तिलहन
उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर

महत्वपूर्ण नोटः—निविदा प्रपत्र भाग 'अ' एवं 'ब' अलग अलग लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें साथ ही लिफाफे पर सम्बन्धित निविदा कार्य का नाम अंकित करें।

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर

एफ 204—224, रीको, उद्योग विहार, श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)
तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग 'अ'

1. निविदादाता का नाम व्यावसाय
का पूर्ण पता, फोन नम्बर आदि।
2. फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता
3. धरोहर राशि रूपये 10000/- का बैंक ड्राफ्ट नम्बर दिनांक
4. निविदादाता की फर्म :— प्रोपराइटरशीप साझेदारी, प्राइवेट लि. कम्पनी।
(सही पर निशान लगाये)
5. निविदादाता के बैंक का नाम
खाता संख्या
आई एफ एस कोड
6. निविदादाता द्वारा लिये गये श्रमिकों
के लेबर लाइसेन्स का विवरण
(लाइसेन्स की प्रति सलग्न करें)
7. निविदादाता का भविष्य निधि एवं पेंशन विभाग:-
में रजिस्ट्रेशन एवं कोड संख्या का विवरण
8. निविदादाता का आयकर स्थाई संख्या (पेन)
व जीएसटी न० अंकित करें (फोटो प्रति सलग्न करें)
9. निविदादाता फर्म द्वारा पिछले दो वर्षों में किये गये
सम्बन्धित कार्यों का पूर्ण विवरण मय नियोक्ता द्वारा
जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां सलग्न करें।
10. निविदादाता जीएसटी न० अंकित करें अगर है तो
(फोटो प्रति सलग्न करें)
11. तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग 'अ' में वर्णित सभी बिन्दुओं पर चाही गई सूचना पूर्ण कर ली गई है तथा
तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ समुचित संलग्न आवश्यक शर्तें भी समझ ली गई हैं।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग (ब) खोली जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता (मय सील)

नाम:—.....

पता:—.....

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ)परियोजना श्री गंगानगर
एफ 204–224,रीको,उद्योग विहार,श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)

आवश्यक शर्तें

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं प्रपत्र में चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. निविदादाता के पास श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लाइंसेस होना चाहिए। लाइंसेस की फोटो प्रति संलग्न करें।
3. सफल निविदादाता द्वारा परियोजना में बतौर सुरक्षा राशि रूपये 25000/-रु (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिलम् संघ) प्रोजेक्ट श्री गंगानगर के नाम श्री गंगानगर में देय होगा व कार्य आवंटन से 7 दिवस के अन्दर जमा कराना होगा। इस राशि में धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा। सुरक्षा राशि नहीं जमा कराये जाने पर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। सन्तोषजनक रूप से कार्य समाप्ति के बाद उक्त सुरक्षा राशि लौटायी जावेगी, जिस पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
4. ठेकेदार के सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी भी नुकसान, असन्तोषप्रद कार्य, झगड़ा नशा आदिकृत्य करने पर मिल कार्य से अलग करने का अधिकार प्रबन्ध वर्ग के पास सुरक्षित रहेगा तथा इसके एवज में हो रहे नुकसान के लिए ठेकेदार के बिल में कटौति कर ली जायेगी।
5. ठेकेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को बिल संघ के प्रतिनिधि, अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा उस बिलो की जांच कटौति आदि करके सात दिवस में भुगतान परियोजना द्वारा कर दिया जायेगा। (विशेष परस्थितियो में ठेकेदार को 75 प्रतिशत तक अग्रिम दिया जा सकेगा)
6. ठेकेदार द्वारा श्रमिको विधियो में सम्बन्धित दस्तावेज/रिकार्ड तैयार कर रखेगा तथा संबंधित विभाग के अधिकारियो द्वारा मांगे जाने पर जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
7. ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिको विधियो की पूर्णतः पालना करानी होगी जैसे कारखाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, न्युनतम वेतन अधिनियम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम आदि के अन्तर्गत समस्त प्रकार के दायित्वो के लिये स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा। विशेष कर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिको को अशंदान व नियोक्ता का अशंदान (दोनों का) के लिए श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा।
8. पी.एफ जमा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

9. श्रमिकों विधियों के अन्तर्गत किसी प्रकार की देनदारी, दावे आने पर सुरक्षा राशि में से समायोजन / कटौति कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार को संवय द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों की कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मान्य बीमा पॉलिसी लेना आवश्यक है।
11. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर प्रोजेक्ट प्रबन्ध द्वारा 24 घंटे नोटिस देकर कार्य आदेश रद्द कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार की जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी तथा इस अवधि में दरों में कोई बढ़ोतरी देय नहीं होगी। आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
13. प्रोजेक्ट के कार्य से सम्बन्धित समस्त विवाद के निपटारे के लिये श्री गंगानगर शहर न्यायिक क्षेत्र होगा।
14. कार्य करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना से श्रमिक को होने वाले नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी। अतः ठेकेदार योग्य श्रमिक ही कार्य पर लगावें।
15. निविदा फार्म के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये 10000/- रु का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि0 (तिलम् संघ) प्रोजेक्ट श्री गंगानगर के नाम, श्री गंगानगर में देय संलग्न करना आवश्यक है। चैक मान्य नहीं होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. ठेकेदार द्वारा किसी कानून की अनुपालना सही रूप से नहीं करने पर परियोजना द्वारा हर्जाना या कानूनी कार्यवाही कि जायेगा।
17. ठेकेदार को देय बिलों में से आयकर व अन्य वैद्यानिक कटौति सरकारी नियमानुसार की जावेगी।
18. कार्य स्थल पर सफाई रखने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
19. ठेकेदार को प्रतिदिन परियोजना में आना होगा। किसी दिन विशेष परिस्थितिवंश नहीं आना हो तो प्रबन्धक को सूचित करेगा।
20. ठेकेदार को अपने स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा रखनी होगी।
21. परियोजना महाप्रबन्धक द्वारा 7 दिवस पूर्व लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा। जिस बाबत् ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जावेगा।
22. निविदादाता को कार्य आदेश की समस्त शर्तों की पूर्ति कर निश्चित समय एवं दिनांक को कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए कार्य आदेश / ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
23. निबंधन की शर्त ही निविदादाता एवं तिलम् संघ के बीच अनुबंध का गठन माना जावेगा एवं तिलम् संघ द्वारा स्वीकृत पत्र के जारी करने के बाद अलग से किसी भी लिखित करार के निष्पादन की आवश्यकता नहीं होगी।
25. सफल निविदादाता के सुरक्षा गार्डों हेतु परियोजना आवासीय कालोनी में निशुल्क आवासीय सुविधा दी जावेगी।

26. सुरक्षा गार्ड द्वारा असमान्य व्यवहार करने की दशा में तुरन्त सुरक्षा गार्ड को हटाकर दुसरा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाना होगा।
27. प्रत्येक सुरक्षा गार्ड की 20–20 हजार की फिडिलिटी ठेकेदार द्वारा करवाई जावेगी। चोरी व अन्य नुकसान होने की दशा में पुलिस थाने में प्राथमिक रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा दर्ज करवाई जावेगी। हालांकि संघ द्वारा इस मामले में पुर्ण सहयोग दिया जावेगा।
- 28 संदिग्ध वस्तु अथवा आदमी की चैकिंग सुरक्षा गार्ड का विशेषाधिकार होगा व परियोजना में आने वाली व बाहर जाने वाली समस्त सामग्री की चैकिंग व इन्द्राज सुरक्षा गार्ड द्वारा किया जावेगा। परियोजना से बाहर जाने वाला कोई भी सामान बगेर गेट पास बाहर नहीं जाने दिया जावेगा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने पर ही सामान गेट पास से बाहर जाने दिया जावेगा।
- 29 ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पारी में आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने होंगे। सुरक्षा गार्ड की सख्ती में कमी अथवा बढ़ोतरी का अधिकार परियोजना प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
- 29 ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षा गार्ड को वर्दी व टोपी वर्दी के रूप में प्रदत्त किया जावेगा।
30. सफल निविदादाता को 100/-रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार इकरारनामा करना वाछनीय है।
31. किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
32. सर्विस टैक्स का तिलम् संघ द्वारा नियमानुसार पुर्नभरण किया जावेगा।
33. मैंने/हमने उक्त सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर समझ लिया है तथा हमें/मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

सुरक्षाकर्मी आपूर्ति कार्य से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

1. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।
2. सफल निविदादाता द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी को वर्दी, जूते, बेल्ट आदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराने होंगे एवं डयूटी के दौरान अपनी यूनिफॉर्म में रहेंगे। सफल निविदादाता द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा।
3. प्रोविडेण्ड फण्ड अधिनियम अनुसार लागू नियोक्ता के पी.एफ. अंशदान का पुर्नभरण, वास्तविक वैधानिक खर्चों के साथ (जो कि वर्तमान में **12+1 = 13.00%** है) सफल निविदादाता को किया जायेगा।
4. सर्विस टैक्स, जीएसटी या अन्य कोई राजकीय कर नियमानुसार देय होगा, जो कि शेड्यूल रेट तथा उस पर लागू प्रतिशत बीएसआर के अतिरिक्त होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम:—.....

पता:—.....

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि0
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर
एफ 204—224, रीको, उद्योग विहार, श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)

वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग—‘ब’

कार्य का नाम

वर्तमान दर प्रतिदिन
(राजस्थान राजपत्र न्युन्नम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुसार)

1. परियोजना परिसर व आवासीय कॉलोनी
हेतु समस्त प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था

प्रत्येक सुरक्षा गार्ड

रु. 285/- (प्रति दिन आठ घंटे के)

घोषणा

मुझे/हमें उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी आवश्यक व विशेष शर्तों का पूर्ण रूप से
अध्ययन कर लिया है व समझ लिया है। तथा मुझे/हमें सभी शर्त स्वीकार है मुझे/हमें
उपरोक्त वर्णित कार्य को निर्धारित दरों सेप्रतिशत कम/अधिक (चयनित कर टिक
लगावें) से कार्य करने को तैयार है।

नाम व हस्ताक्षर निविदादाता

पता.....

मोबाइल नं0.....

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर टाईप कराकर प्रस्तुत करें)

इकरारनामा:-

मैं..... प्रोपराईटर / साझेदार मैसर्स.....

.....पता.....

..... ये घोषित करता हूँ कि राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर उद्योग विहार, श्री गंगानगर के लिये दिनांक..... को निर्धारित (कार्य का नाम).....

..... हेतु निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों का मैने/हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा सभी शर्तें मुझे/मान्य हैं। यदि मुझे तिलम् संघ, श्री गंगानगर परियोजना द्वारा कार्य आंवटित किया जाता है तो मैं निविदा शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर में कार्य पूर्ण शृद्धा एवं विश्वास से करूँगा। यदि मैं कार्य करने में विफल रहता हूँ तो तिलम् संघ प्रबन्धन को मेरी जमा सुरक्षा राशि तथा अन्य किसी प्रकार की देय राशि से हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

गवाह (1)

हस्ताक्षर

गवाह (2)

नाम.....